अभिनव जवाहर रोजगार योजना मद से वन पंचायत के अन्तर्गत चारा घासों का सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने की प्रक्रिया एवं आवश्यक प्रारूप–प्रपत्र

वन पंचायतों के अन्तर्गत चारा घासों के सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने के लिए निम्न चरणों के अनुसार प्रस्ताव प्रेषण की कार्यवााही की जानी चाहिए :

1– वन पंचायत में चारा विकास के लिए सर्वप्रथम निर्धारित मानक (मार्गदर्शी बिन्दु) के अनुसार 2/3/4/5 हेक्टेयर भूमि का चयन करना (संलग्नक –1)।

2– क्षेत्रीय पटवारी से वन पंचायत का नजरिया मानचित्र तथा खसरा–खतौनी की नकल प्राप्त करना।

3– निर्धारित प्रारूप के अनुसार वन पंचायत के सम्बन्ध में सूचनाओं का संकलन करना (संलग्नक–2)।

4– वन पंचायत की बैठक आयोजित करके 2/3/4/5 हेक्टेयर क्षेत्र में चारा विकास के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव तैयार करना (संलग्नक–3)।

5– वन पंचायत प्रस्ताव के साथ नजरिया नक्शा तथा खसरा–खतौनी की पटवारी द्वारा प्रमाणित नकल संलग्न करके यू.एल.डी.बी. को चारा का सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने हेतु आवेदन पत्र प्रेषित करना (संलग्नक–4)।

6– वन पंचायत की ओर से जिलाधिकारी को आवेदन पत्र का प्रेषण जो वन पंचायत की 2/3/4/5 हेक्टेयर चयनित भूमि पर चारा का सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में हो (संलग्नक–5)।

7– जिलाधिकारी महोदय की ओर से वन पंचायत को प्रेषित अनुमति पत्र (संलग्नक–6)।

8– वन पंचायत में चारा का सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने के लिए यू.एल.डी.बी. द्वारा वित्तीय सहायता सम्बन्धित जनपद के दुग्ध संघ के प्रधान प्रबन्धक अथवा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से प्रदान की जाती है। यू.एल.डी.बी. द्वारा वन पंचायत के आवेदन पत्र पर चारा विकास की औपचारिक सहायता प्रदान करने की सहमति के पश्चात् वन पंचायत सरपंच को प्रधान प्रबन्धक दुग्ध संघ/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी से सम्पर्क करना होगा तथा वन पंचायत के लोकेशन आदि के सम्बन्ध में अवगत कराना होगा। सम्बन्धित जनपद के चारा विकास अधिकारी से वन पंचायत का निरीक्षण कराकर उसकी रिपोर्ट एवं संस्तुति प्राप्त करना होगा।

9– जिलाधिकारी महोदय से अनुमति पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् सरपंच को एक आवेदन पत्र यू.एल.डी.बी. को प्रेषित करना होगा (संलग्नक–7) जिसमें चारा विकास कार्य प्रारम्भ करने के लिए प्रथम किस्त के सापेक्ष अग्रिम धनराशि की मांग, सम्बन्धित जनपद के चारा विकास अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट तथा जिलाधिकारी से प्राप्त अनुमति पत्र की मूलप्रति संलग्न करना होगा।

10– इसके पश्चात् यू.एल.डी.बी., शासन द्वारा अनुमोदित दर (रू0 29000.00 प्रति हेक्टेयर) के आधार पर 2/3/4/5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए प्रथम किस्त की अग्रिम धनराशि का भुगतान प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को प्रेषित करेगा।

11– प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ/ मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को प्रथम किस्त की धनराशि प्राप्त हो जाने के पश्चात् वे वन पंचायत सरपंच को कार्यो के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराते रहेगे।

चारा विकास के लिए मानक के अनुसार स्वीकृत धनराशि का भुगतान 4 किस्तों में किया जाएगा। प्रत्येक किस्त का लेखा समायोजन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् दूसरी एवं अग्रेतर किस्तों का भुगतान हो सकेगा।

संलग्नक–2

चयनित वन पंचायत के सम्बन्ध में सूचनाओं का संग्रह

- वन पंचायत का नाम ।
- वन पंचायत के वर्तमान सरपंच का नाम व पता।
- सम्बन्धित ग्राम पंचायत का नाम।
- वन पंचायत क्षेत्र/ग्राम में कार्यरत दुग्ध समिति/महिला सहकारी दुग्ध समिति का नाम व पता।
- पूर्व में गठित दुग्ध समिति के अध्यक्ष एवं सचिव का नाम एवं पता।
- निकटतम पशुचिकित्सालय का नाम व पता।
- निकटतम पशु औषधालय का नाम व पता।
- विकासखण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम, जिसमें वन पंचायत/ग्राम पंचायत आती है।
- मुख्य मोटर मार्ग का नाम, जिस पर वन पंचायत स्थित हो। (कृपया ऐसी वन पंचायतें चयनित की जायं, जो यथासम्भव मुख्य मार्ग अथवा उसके सन्निकट स्थित हो)।
- वन पंचायत की निकटतम मोटर मार्ग से दूरी (कि.मी.)।
- वन पंचायत का कुल क्षेत्रफल।
- वन पंचायत की समुद्रतल से ऊंचाई (मीटर में)।

संलग्नक–3

वन पंचायत का प्रस्ताव–प्रारूप

वन पंचायत.....ग्रामसभा.....पो.–.....

जनपद.....की एक विशेष बैठक दिनांक..... को आहूत की गई। गांव में पशु चारे की विकट समस्या को देखते हुए सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किए गए :

1. वन पंचायत.....की 2/3/4/5 हेक्टेयर भूमि चारा विकास के लिए उपयुक्त तथा वन पंचायत चयन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप है।
2. चयनित भूमि में चारे का सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने के लिए उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड, 233/1 वंसत विहार, देहरादून को प्रस्ताव की प्रति प्रेषित करते हुए आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया जाय।
3. जिलाधिकारी महोदय/जिला वन पंचायत अधिकारी को प्रस्ताव की प्रति प्रेषित करते हुए निवेदन किया जाय कि वे वन पंचायत .....की 2/3/4/5 हेक्टेयर भूमि में चारे का सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने की अनुमति प्रदान करना चाहें।
4. वन पंचायत के चयनित क्षेत्र में चारा विकास कार्यक्रम के लिए इस भूमि को 5 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से उपयोग के लिए हस्तांतरित किया जाय। इस अवधि में चारा विकास एवं चारा वृक्ष रोपण के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं कराया जाय तथा किसी दूसरे विभाग/संस्था को हस्तांतरित नहीं किया जाय।
5. चयनित क्षेत्र के सुरक्षा का दायित्व वन पंचायत का होगा जिसके घेरबाड़ का कार्य यू.एल.डी.बी. के वित्तीय सहयोग से किया जाय तथा चारा विकास सम्बन्धित सभी कार्यो के निष्पादन में गांववासियों का सक्रिय सहयोग लिया जाय।
6. वन पंचायत में चारे का सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए यू.एल.डी.बी. किसी भी संस्था जैसे दुग्ध संघ अथवा पशुपालन विभाग को अधिकृत कर सकती है, जो वन पंचायत के सहयोग से निर्धारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगा।

वन पंचायत के पंचो के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–

वन पंचायत सरपंच
मोहर

संलग्नक–4

वन पंचायत की ओर से मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी. को चारा विकास सम्बन्धित प्रस्ताव प्रेषित करने का प्रारूप

सेवा में,

मुख्य अधिशासी अधिकारी
यू.एल.डी.बी.
233/1, वंसत विहार, देहरादून

महोदय,

निवदेन करना है कि ग्रामसभा.....पट्टी.....तहसील.....जनपद.....में पशुचारा का बहुत अधिक अभाव है। ग्रामसभा के अन्तर्गत वन पंचायत..... का गठन हो चुका है जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल..... .....हेक्टेयर (.....नाली) है। हमें ज्ञात हुआ है कि राज्य में चारा विकास का कार्य यू.एल.डी.बी. की देखरेख में हो रहा है।

उपरोक्त सम्बन्ध में दिनांक.....को वन पंचायत की एक विशेष बैठक आयोजित की गई जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि वन पंचायत.....में 2/3/4/5 हेक्टेयर भूमि चारा विकास के लिए उपयुक्त है। इस चयनित क्षेत्र में चारा घासों का सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्राप्त करने हेतु यू.एल.डी.बी. से अनुरोध करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।

पारित प्रस्ताव की छायाप्रति, नजरिया नक्शा तथा खसरा–खतौनी की नकल संलग्न करते हुए निवेदन करना है कि कृपया हमारी वन पंचायत के 2/3/4/5 हेक्टेयर क्षेत्र में चारे का सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। वन पंचायत सदैव यू.एल.डी.बी. की अभारी रहेगी।

उपरोक्त सम्बन्ध में वन पंचायत द्वारा जिलाधिकारी महोदय से अनुमति प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया है। अनुमति प्राप्त हो जाने पर बोर्ड को मूलप्रति प्रेषित किया जाएगा।

संलग्न : वन पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव,

नजरिया नक्शा, खसरा–खतौनी की नकल

भवदीय

सरपंच
वन पंचायत
मोहर

संलग्नक–5

जिलाधिकारी को वन पंचायत का प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए पत्र–प्रारूप

सेवा में,

जिलाधिकारी
जनपद.....

महोदय,

निवेदन करना है कि वन पंचायत..... ग्रामसभा.....तहसील..... जनपद..... की दिनांक ..... को आयोजित विशेष बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि गांव में पशुचारे की विकट समस्या को देखते हुए वन पंचायत.....की 2/3/4/5 हेक्टेयर भूमि में चारा घासों के सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने के लिए उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड (यू.एल.डी.बी.), देहरादून से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्राप्त किया जाय।

महोदय से अनुरोध करना है कि कृपया वन पंचायत.....की 2/3/4/5 हेक्टेयर भूमि में यू.एल.डी.बी. के तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से चारे का सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने के लिए अनुमति प्रदान करना चाहें। यू.एल.डी.बी. द्वारा अनुमोदित एवं चयनित क्षेत्र में घेरबाड़, चारा घासों तथा चारा पौधों के रोपण के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य जैसे–स्थायी निर्माण अथवा वृक्ष पातन आदि का कार्य नहीं किया जाएगा। चारा विकास से होने वाली आय को वन पंचायत कोष में जमा किया जाएगा तथा इसका उपयोग चारा विकास क्षेत्र के अनुरक्षण में किया जाएगा। सेन्टर आफ एक्सिलेन्स में उत्पादित घासों का वितरण एवं उपयोग समस्त गांववासियों द्वारा किया जाएगा।

प्रस्ताव पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

भवदीय

दिनांक :

सरंपच, वन पंचायत

मोहर

संलग्नक–6

जिलाधिकारी द्वारा वन पंचायत के चयनित क्षेत्र में चारे का सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने के लिए अनुमति पत्र–प्रारूप

जिलाधिकारी कार्यालय.....

पत्रांक.....

सेवा में,

सरपंच
वन पंचायत.....
ग्रामसभा.....
तहसील.....

महोदय,

वन पंचायत.....ग्रामसभा.....पट्टी.....
तहसील..... द्वारा पारित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रतिबन्धों के साथ 2/3/4/5 हेक्टेयर क्षेत्र में चारे का सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने की अनुमति प्रदान की जाती है :

1. वन पंचायत के चयनित 2/3/4/5 हेक्टेयर क्षेत्र में यू.एल.डी.बी. के तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से चारे का सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित किया जा सकता है।
2. चारा विकास कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए वन पंचायत, चयनित 5 हेक्टेयर भूमि को अस्थायी रूप से 5 वर्ष के लिए उपयोग कर सकती है।
3. वन पंचायत में चारा विकास के लिए चयनित क्षेत्र में चारा घास विकास एवं चारा पौध रोपण के अतिरिक्त कोई ऐसा कार्य न कराया जाय जो पर्यावरण की दृष्टि से अवांछित हो।
4. चयनित क्षेत्र में कोई स्थायी निर्माण अथवा अन्य कार्य न कराए जाय, जिससे वन पंचायत के मूल स्वरूप में कोई विकृति उत्पन्न हो सके।
5. चयनित क्षेत्र में उत्पादित पशु चारा से सभी ग्रामवासियों को लाभान्वित होना चाहिए।

जिलाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., 233/1 वंसत विहार, देहरादून।
2. उप जिलाधिकारी/परगनाधिकारी.....
3. मुख्य विकास अधिकारी,.....

जिलाधिकारी

संलग्नक–7

सम्पूर्ण कार्यवाही हो जाने के पश्चात् चारा विकास हेतु प्रथम किस्त के सापेक्ष अग्रिम धनराशि की मांग के सम्बन्ध में सरपंच, वन पंचायत द्वारा यू.एल.डी.बी. को प्रेषित किये जाने वाले पत्र का प्रारूप

सेवा में,

मुख्य अधिशासी अधिकारी
उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड
233/1, वंसत विहार
देहरादून

महोदय,

हमारे पूर्व प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक.....के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि वन पंचायत.....के 2/3/4/5 हेक्टेयर क्षेत्र में चारा घासों के सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने हेतु यू.एल.डी.बी. द्वारा चाही गई सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है, जिन्हें निम्नानुसार संलग्न किया जा रहा है।

1. वन पंचायत का प्रस्ताव, नजरिया नक्शा, खसरा–खतौनी नम्बर
2. जिलाधिकारी महोदय का अनुमति पत्र

अतः निवदेन करना है कि कृपया वन पंचायत के अन्तर्गत चयनित 2/3/4/5 हेक्टेयर क्षेत्र में चारा का सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने के लिए प्रथम किस्त के सापेक्ष आवश्यक धनराशि का अग्रिम भुगतान प्रधान प्रबंधक, दुग्ध संघ...../मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, जनपद..... के माध्यम से प्रेषित करने की कृपा करें। चारा विकास अधिकारी की तकनीकी रिपोर्ट निम्नवत है :

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

सरपंच
वन पंचायत.....
मोहर

चारा विकास अधिकारी की तकनीकी रिपोर्ट

मैंनें वन पंचायत.....का स्थलीय निरीक्षण कर लिया है। वन पंचायत के अन्तर्गत चयनित 2/3/4/5 हेक्टेयर क्षेत्र चारा विकास के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप है। वन पंचायत के अर्न्तगत चारा घासों का सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने की संस्तुति की जाती है।

चारा विकास अधिकारी

जनपद.....

प्रतिलिपि :

श्रीमान प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ...../मुख्य पशुचिकित्साधिकारी.....को इस निवेदन के साथ कि, कृपया यू.एल.डी.बी. से प्रथम किस्त की धनराशि प्राप्त होते ही वन पंचायत के चयनित क्षेत्र में चारा विकास कार्य प्रारम्भ कराने की कृपा करें।

सरपंच
वन पंचायत.....
मोहर

वन पंचायत के अन्तर्गत चारा घासों के सेन्टर आफ एक्सिलेन्स का विकास
अभिवन जवाहर रोजगार योजना

वन पंचायतों के अन्तर्गत चारे का सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने के लिए निम्न चरणों के अनुसार प्रस्ताव का प्रेषण :

1. वन पंचायतों के चयन हेतु मार्गदर्शी बिन्दु
2. वन पंचायतों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाओं का संग्रह एवं प्रेषण
3. वन पंचायत का प्रस्ताव
4. वन पंचायत प्रस्ताव को यू.एल.डी.बी. को प्रेषित करना जिसके साथ वन पंचायत का खसरा–खतौनी नम्बर एवं नजरिया मानचित्र संलग्न किया जाय।
5. वन पंचायत की ओर से जिलाधिकारी को आवेदन पत्र का प्रेषण जो वन पंचायत की 05 हेक्टेयर चयनित भूमि पर चारा का सेन्टर आफ एक्सिलेन्स विकसित करने हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में हो।
6. जिलाधिकारी से वन पंचायत में चारा विकास की अनुमति प्राप्त हो जाने के पश्चात् पत्र की छायाप्रति यू.एल.डी.बी. को को प्रेषित करना।